उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-52/2020/522/92-2-20-166जांच/2015
लखनऊ:: दिनांक 20 फरवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 29.04.2019 में विकास खण्ड-भटनी, भाटापारा, रूद्रपुर, रामपुर कारखाना, बनकटा में इन्टरलांकिग, सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन तथा पीएमजीएसवाई योजना के पैकेज सं0-2063 के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति प्रखण्ड-फर्रूखाबाद के विरूद्ध शासन के पत्र सं0-1311/92-2-19-166जांच/2015 दि0 24.06.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका बचाव उत्तर श्री श्रीवास्तव के पत्र दिनांक 19-12-2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 श्रीवास्तव के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण, उनके बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति शासनादेश दि0 14.07.2009 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत सहिष्णुता सीमा (02 प्रतिशत) से कम पाये जाने व उक्त शासकीय क्षति भी संबंधित ठेकेदारों द्वारा राजकोष में जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत श्री श्रीवास्तव पर अधिरोपित आरोप स्थापित होना नही पाया गया है। अतएव शासन के आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति प्रखण्ड-फर्रूखाबाद के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-52/2020/522(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति प्रखण्ड-फर्रूखाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 , उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in